

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राज्यपाल

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 मार्च 2014—चैत्र 8, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2014

क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच (12).—यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-60-2005-1-पांच (5), दिनांक 26 मार्च 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द तथा अंक “31 मार्च, 2014” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “30 जून, 2014” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2014

क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-60-2005-1-पांच (12), दिनांक 29 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 29th March 2014

No. F-A-3-60-2005-1-V-(12).—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-60-2005-1-V (5), dated 26th March 2013, namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification, for the word and figures “31st March, 2014”, the word and figures “30th June, 2014” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESHWAR MISHRA, Dy.Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2014

क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच (13).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट रीति में तथा सीमा तक संशोधन करती है:—

#### सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक तथा दिनांक (2)	संशोधन (3)
1.	एफ-ए-3-88-06-1-पांच (06), दिनांक 21-3-2007.	अंक “31-3-2014” के स्थान पर, अंक “30-6-2014” स्थापित किए जाएं।
2.	एफ-ए-3-60-05-1-पांच (09), दिनांक 1-4-2007.	अंक “31-3-2014” के स्थान पर, अंक “30-6-2014” स्थापित किए जाएं।
3.	एफ-ए-5-4-2007-1-पांच (25), दिनांक 27-6-2007.	अंक “31-3-2014” के स्थान पर, अंक “30-6-2014” स्थापित किए जाएं।
4.	एफ-ए-3-42-07-1-पांच (29), दिनांक 22-9-2007.	अंक “31-3-2014” के स्थान पर, अंक “30-6-2014” स्थापित किए जाएं।
5.	एफ-ए-3-2-2010-1-पांच (47), दिनांक 1-4-2010.	अंक “31-3-2014” के स्थान पर, अंक “30-6-2014” स्थापित किए जाएं।
6.	एफ-ए-3-23-2010-1-पांच (92), दिनांक 19-11-2010.	अंक “31-3-2014” के स्थान पर, अंक “30-6-2014” स्थापित किए जाएं।
7.	एफ-ए-3-11-2011-1-पांच (16), दिनांक 31-3-2011.	अंक “31-3-2014” के स्थान पर, अंक “30-6-2014” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2014

क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-60-2005-1-पांच (13), दिनांक 29 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव।

Bhopal, the 29th March 2014

No. F-A-3-60-2005-1-V-(13).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kehstra Me Mal ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendments of this department's Notifications specified in column (2) of the Table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said Table :—

## TABLE

S. No.	Notification No. and date (1)	Amendments (3)
Notification No. and date (2)		
1.	F-A-3-88-06-1-V(06), dated 21-3-2007	For the figures “31-03-2014”, the figures “30-06-2014” shall be substituted.
2.	F-A-3-60-05-1-V(09), dated 1-4-2007	For the figures “31-03-2014”, the figures “30-06-2014” shall be substituted.
3.	F-A-5-4-2007-1-V(25), dated 27-6-2007	For the figures “31-03-2014”, the figures “30-06-2014” shall be substituted.
4.	F-A-3-42-07-1-V(29), dated 22-9-2007	For the figures “31-03-2014”, the figures “30-06-2014” shall be substituted.
5.	F-A-3-2-2010-1-V(47), dated 1-4-2010	For the figures “31-03-2014”, the figures “30-06-2014” shall be substituted.
6.	F-A-3-23-2010-1-V(92), dated 19-11-2010	For the figures “31-03-2014”, the figures “30-06-2014” shall be substituted.
7.	F-A-3-11-2011-1-V(16), dated 31-3-2011	For the figures “31-03-2014”, the figures “30-06-2014” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESHWAR MISHRA, Dy.Secy.